

# निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड

उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत, अल्मोड़ा

दूरभाष- 05966-220260, फ़ैक्स- 05966-221074

दूरभाष कार्यालय-बागवानी मिशन, देहरादून, 0135-2759799, 2759796

ई-मेल:- [dirudyanhorti@gmail.com](mailto:dirudyanhorti@gmail.com), [missionhortiuk@gmail.com](mailto:missionhortiuk@gmail.com)

## उत्तराखण्ड में सेब उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित "मिशन एप्पल" योजना के क्रियान्वयन हेतु सेब के अति सघन बागानों की स्थापनाकर्ता इच्छुक फर्मों/कम्पनियों के पंजीकरण हेतु विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा संचालित "मिशन एप्पल" योजना के अन्तर्गत राज्य के पर्वतीय जनपदों में 01 एकड़ क्षेत्रफल के सेब के अति सघन बागानों की स्थापना की जानी है। योजनान्तर्गत क्लोनल रूट स्टॉक पर उच्च गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री, निवेशों तथा अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए 0.40 है० (20 नाली) क्षेत्र में सेब के अति सघन क्षेत्रफल विस्तार हेतु निम्नलिखित विशिष्टियों (Specification) के अनुसार कुल लागत ₹12.00 लाख निर्धारित की गयी है:-

Sl. No.	Apple Plantation Structure (Ultra - High - Density)
1.	Ultra High Value Planting Material 1000 plants
2.	Installation of Drip Irrigation and Fertigation System (Water Tank - 2000 lt, Water pump, By Pass Valve, Sand Separator / Hydrocyclone Filter, Screen Filter, Venturi Injector, Pressure Gauge, Sand / Media Filter, NRV, Main Line and Sub Main Line, Control Valve, Air Release Valve, Flash Valve, Lateral, End Cap, Drippers / Emitters)
3.	Plastic Mulching (UV Stabilized, 200 GSM and as per requirement colors are recommended Black, Black & White and Black & Silver)
4.	Anti Hail net / Anti bird net (UV Stabilized, Monofilament - 69/70 GSM)
5.	Fencing
6.	Fertilizers and chemicals
7.	Tools/Equipments
8.	Installation charges including labour charges
9.	Layouts, monitoring and management for one year

योजनान्तर्गत प्रति इकाई 0.40 है० हेतु कुल निर्धारित लागत अधिकतम ₹12.00 लाख का 80 प्रतिशत ₹9.60 लाख प्रति लाभार्थी की दर से क्रेडिट लिक्ड बैंक एण्डिड सब्सिडी के रूप में राज सहायता प्रदान की जानी है। योजना का क्रियान्वयन उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा जिला उद्यान अधिकारियों के माध्यम से सेब उत्पादन से सम्बन्धित संस्था के सहयोग से Turnkey basis पर किया जाना है। सम्बन्धित फर्म/संस्था द्वारा भूमि विकास, घेरबाड, क्लोनल रूट स्टॉक पर तैयार उच्च उत्पादन वाली उन्नत प्रजाति की रोपण सामग्री, आवश्यक औद्योगिक निवेश (खाद, उर्वरक, कीट/व्याधि नाशक रसायन आदि), प्लास्टिक मल्लिचंग, एन्टीहेलनेट एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली इत्यादि कार्य क्रियान्वित करने होंगे।

पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप तथा शर्तें दिनांक 19.01.2017 की सांय 05:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून से बिक्री कर सहित मूल्य ₹1,100/ (रूपये एक हजार एक सौ मात्र) का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है तथा उत्तराखण्ड सरकार की वैबसाईट <http://uk.gov.in> एवं बागवानी मिशन की वैबसाईट [www.shm.uk.gov.in](http://www.shm.uk.gov.in) से भी डाउनलोड किया जा सकता है। वैबसाईट से डाउनलोड प्रारूप को जमा करने हेतु ₹1,100/ (रूपये एक हजार एक सौ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत, अल्मोड़ा के नाम रानीखेत शाखा में देय हो, संलग्न करना होगा।

(बी0एस0 नेगी)  
निदेशक, उद्यान

# निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड

उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत, अल्मोड़ा

दूरभाष- 05966-220260, फ़ैक्स- 05966-221074

दूरभाष कार्यालय-बागवानी मिशन, देहरादून, 0135-2759799, 2759796

ई-मेल:- dirudyanhorti@gmail.com, missionhortiuk@gmail.com

## उत्तराखण्ड में सेब उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित "मिशन एप्पल" योजना के क्रियान्वयन हेतु सेब के अति सघन बागानों की स्थापनाकर्ता इच्छुक फर्मों/कम्पनियों के पंजीकरण हेतु शर्तें

राज्य सरकार द्वारा संचालित "मिशन एप्पल" योजना के अन्तर्गत राज्य के पर्वतीय जनपदों में 01 एकड़ क्षेत्रफल के सेब के अति सघन बागानों की स्थापना की जानी है। योजनान्तर्गत क्लोनल रूट स्टॉक पर उच्च गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री, निवेशों तथा अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए 0.40 है० (20 नाली) क्षेत्र में सेब के अति सघन क्षेत्रफल विस्तार हेतु निर्धारित विशिष्टियों (Specification) के अनुसार कुल लागत अधिकतम ₹12.00 लाख निर्धारित की गयी है। उक्त इकाई स्थापना हेतु फर्मों/कम्पनियों के पंजीकरण हेतु शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

1. इकाई की स्थापना हेतु विशिष्टियों (Specifications) निम्नवत् होगी:-

SI. No.	Apple Plantation Structure (Ultra - High - Density)	Maximum Amount (Rs in lakh)
1.	Ultra High Value Planting Material 1000 plants 1. The plant height should be 5ft + 2. The height at the graft level should be more than 15 cm 3. The plant should have 5 to 7 + feathers (small side branches) 4. The rootstock & the scion wood used in the plant making should be from identified virus free-sources. In case of imported rootstock & scion wood, the import document should be produced. 5. The root structure should be strong enough with more than 20 fibers of at least 6 inch. long.	
2.	Installation of Drip Irrigation and Fertigation System (Water tank - 2000 lt, Water pump, By Pass Valve, Sand Separator / Hydrocyclone Filter, Screen Filter, Venturi Injector, Pressure Gauge, Sand / Media Filter, NRV, Main Line and Sub Main Line, Control Valve, Air Release Valve, Flash Valve, Lateral, End Cap, Drippers / Emitters)	
3.	Plastic Mulching (UV Stabilized, 200 GSM with life of at least 10 year)	
4.	Anti Hail net / Anti bird net (UV Stabilized, Monofilament - 69/70 GSM) 1. Hailnet of thickness 10mm mash, monofilament, UV stabilized, specialized for hails, with life warranty of 10 years. Complete covering on the structure. 2. The Hail-Net house structure needs to be strong enough to withstand the wind speed of 100 km/hr. 3. The stake wire and the VERMS, should also be strong to hold the weight of the plants when loaded with the fruits, the specification are as following:- Structure Poles:- 1. 4.7 meter high, 2 inch diameter, and 2 mm wall thickness, stake wire of 10 mm thickness (GI-Twisted) 2. Trellies support wires, should be GI, 3 mm thickness, fitted with adjusters for tightening. 3. VERMS (for stake wires), 4 & ½ ft long, 30 mm steel rods, with worm plats (5 mm) on the base to be used all around the structure for the stake wires.	

5	Fencing	
	1. 5 feet height with 6 wires, fitted on GI-poles, standards, use 12 guage heavy hot dipped galvanized wire and insulators – Standard.	
	2. The solar panels, 70 watt, with re-chargeable battery of 70amp, with induction electric convertor and alarm system.	
	3. The fencing should be closed with gates & lock, properly insulated.	
	4. The system is eco-friendly, safe and effective.	
	5. Use of quality components, which offer little resistance for power flow as in wires or prevent leakages as in insulators.	
	6. Adequate earthing to ensure movement of electrons through the ground.	
	7. Suitable fence layout.	
	8. To maintain the difference in voltage between the earth and live wire below 200V.	
6.	Fertilizers and chemicals (as per requirement –please specify details)	
7.	Tools/Equipments (as per requirement –please specify details)	
8.	Installation charges including labour charges	
9.	Layouts, monitoring and management for one year	

2. कास्तकारों के प्रक्षेत्रों एवं प्रजातियों का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित प्रक्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, समुद्र तल से ऊंचाई एवं जलवायु हेतु संस्तुत प्रजाति सेब उत्पादन हेतु उपयुक्त है।
3. चयनित प्रगतिशील कृषकों के पास सिंचाई सुविधायुक्त कम से कम 0.40 है0 भूमि होनी आवश्यक है।
4. योजनान्तर्गत सेब बागान स्थापना की कुल लागत का 80 प्रतिशत राजसहायता क्रेडिट लिंकड बैंक एण्डिड सब्सिडी के रूप में चयनित फर्म/कम्पनी को दो समान किस्तों में प्रदान की जायेगी।
5. पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप तथा शर्तें कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून से दिनांक 19.01.2017 की सांय 05:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में बिक्री कर सहित मूल्य ₹1,100/ (रूपये एक हजार एक सौ मात्र) का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।
6. पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप तथा शर्तें उत्तराखण्ड सरकार की वैबसाईट <http://uk.gov.in> एवं बागवानी मिशन की वैबसाईट [www.shm.uk.gov.in](http://www.shm.uk.gov.in) से भी डाउनलोड कर सकते हैं, परन्तु वैबसाईट से डाउनलोड प्रारूप को जमा करते समय ₹1,100/ (रूपये एक हजार एक सौ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत, अल्मोड़ा के नाम रानीखेत शाखा में देय हो, संलग्न करना होगा।
7. पंजीकरण हेतु सूचनायें निर्धारित प्रारूप में दिनांक 19.01.2017 को सांय 05:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में जमा करनी होगी।
8. पंजीकरण हेतु ₹5.00 लाख (रूपये पाँच लाख मात्र) की बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद (FDR), जो कि निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत के नाम बन्धक हो उपलब्ध करानी होगी, जिसकी वैधता दिनांक 31.03.2018 तक होनी अनिवार्य है।
9. फर्म/कम्पनी द्वारा यदि किसी निवेश का आयात विदेशों से किया जाता है तो Certificate of Importer – Exporter Code (IEC) का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
10. देश से बाहर की फर्म/कम्पनी होने पर उनकी देश में Authorized Dealership का प्रमाण संलग्न करना होगा।
11. इकाई की स्थापना उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों के चयनित कास्तकारों के प्रक्षेत्रों पर समान दर से करनी होगी।
12. इकाई स्थापना के पश्चात कम से कम 02 वर्ष की गारन्टी/वारन्टी प्रदान करने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
13. फर्म/कम्पनी के टिन एवं पैन नम्बर की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
14. फर्म/कम्पनी का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम ₹1.00 करोड़ होना आवश्यक है, जिसके साक्ष्य संलग्न करने होंगे।
15. फर्म/कम्पनी का वाणिज्य कर विभाग में पंजीकरण के प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
16. पंजीकरण की वैधता तिथि दिनांक 31.03.2018 तक होगी।
17. विभाग की आवश्यकतानुसार पंजीकरण व्यवस्था को किसी भी समय नवीनीकरण अथवा समाप्त किया जा सकता है।

18. विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कृषक अपनी इच्छानुसार विभाग में पंजीकृत किसी भी फर्म/कम्पनी से इकाई स्थापना कराने हेतु स्वतन्त्र होगा।
19. भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यदि टैक्स/इयूटिज आदि प्रदत्त सुविधा में कोई कटौती अथवा बढ़ोतरी/परिवर्तन किया जाता है तो पंजीकृत फर्म के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह इसकी सूचना निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत, अल्मोड़ा को तत्काल उपलब्ध करायेगें।
20. यदि फर्म/कम्पनी के मानक सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की वैधता तिथि 31.03.2018 से पूर्व समाप्त होती है तो फर्म को नवीनीकृत पंजीकरण के प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी अन्यथा फर्म का पंजीकरण समाप्त कर दिया जायेगा।
21. फर्म/कम्पनी को ₹100/ के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तुत की जा रही दरों से कम दरों पर फर्म/कम्पनी द्वारा किसी अन्य राज्य/विभाग में आपूर्ति नहीं की जा रही है।
22. इस परियोजनान्तर्गत क्लोनल मूल वृन्त पर कलम के माध्यम से तैयार किये गये सेब की उच्च उत्पादन वाली उन्नत प्रजातियों की ही पौध रोपण सामग्री के पौधों का रोपण किया जायेगा, जो कि शतप्रतिशत रोगरहित हों।
23. विभाग को पूर्ण रूप से अधिकार होगा कि किसी भी फर्म/कम्पनी के आवेदन को शर्तों के अनुरूप न पाये जाने पर अथवा अन्य किसी भी कारण से बिना कारण बताये निरस्त कर सके। साथ ही किसी भी वाद की स्थिति में विभाग को पूर्ण पंजीकरण प्रक्रिया निरस्त करने का भी पूर्ण अधिकार होगा।

निदेशक, उद्यान